जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी–सह–अपर समाहर्त्ता, चतरा।

शिकायत संख्या– 07309231400001

अपीलकर्त्ता का नाम– कन्हैया कुमार, ग्राम–चैनपुर, पो०–चतरा, जिला– चतरा

वाद सं०:–06 / 2024

अर्जीकार– कन्हैया कुमार बनाम जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, चतरा

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित
11.12.2024	–:आदेश:– अभिलेख उपस्थापित। राष्ट्रीय खाद्य आयोग पोर्टल https: jharkhandsfc.In/admin/dashboard/dashboard_dgro.php पर शिकायतकर्त्ता **कन्हैया कुमार, ग्राम–चैनपुर, पो०–चतरा, जिला–चतरा** द्वारा 18 महीने के बच्चा को पोसाहार नहीं मिलने एवं 6 महीने से गर्भवती महिला को पोषाहार नहीं मिलने का शिकायत दर्ज की गयी है। प्राप्त शिकायत के आलोक में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, चतरा से प्रतिवेदन की मांग की गई। तद्नुसार प्राप्त शिकायत के आलोक में जिला शिक्षा अधीक्षक, चतरा से प्रतिवेदन की मॉग की गई। तद्नुसार बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, चतरा–ग्रामीण के पत्रांक–402, दिनांक–02.09.2024 से प्राप्त जॉच प्रविवेदन के आलोक में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, चतरा के पत्रांक–1615, दिनांक–09.12.2024 द्वारा जॉच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है। जिसमें उल्लेखित किया गया है कि–शिकायतकर्त्ता द्वारा 18 महीने के बच्चा को पोषाहार नहीं मिलने एवं 6 महीने से गर्भवती महिला को पोषाहार नहीं मिलने का शिकायत जो गलत एवं निराधार है। श्री कन्हैया कुमार की पत्नी अनीता देवी का जैसे ही आंगनबाड़ी केन्द्र में नांमाकन हुआ तभी से लाभुक को R.T.E (T.H.R) पोषाहार दिया गया है। 18 महीने का बच्चा आदेश कुमार को भी R.T.E (T.H.R) पोषाहार दिया गया है। सरकार द्वारा जैसे ही पूरक पोषाहार केन्द्रों को प्राप्त होता है वैसे ही जनप्रतिनिधियों को सूचना देकर लाभुकों के बीच R.T.E वितरीत कर दिया जाता है। अतः शिकायतकर्त्ता द्वारा लगाये गये आरोप को बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, चतरा–ग्रामीण एवं जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, चतरा द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन में आरोप को गलत / निराधार बताया गया है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में प्रस्तुत वाद को खारिज किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित अपर समाहर्त्ता, –सह– जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, चतरा। अपर समाहर्त्ता, –सह– जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, चतरा।	